

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

क्रमांक: एफ.1(4)(1)नपा/रानिआ/2014/5446

दिनांक: 04.08.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,

(कलक्टर) (नगरपालिका) राजस्थान।

विषय :- नगरपालिका आम चुनाव 2026 -चुनाव प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 में चुनाव प्रक्रिया के संबंध में आयोग के पत्रांक 2184 दिनांक 26.02.2026 से ईवीएम के उपयोग एवं प्रथम स्तरीय जांच के संबंध में, पत्रांक 705 दिनांक 20.01.2026 से एस.डी.एम.एम सीलबन्द करने, पत्रांक 826 दिनांक 23.01.2026 से डी.एम.एम. सीलबन्द करने एवं पत्रांक 2292 दिनांक 09.03.2026 से मतगणना प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं जिनका संक्षिप्त बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:-

(1) वोटिंग मशीनों का सुरक्षित भण्डारण :-

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल के प्रवेश द्वार को डबल लॉक प्रणाली से सुरक्षित रखा जाये।
- भण्डारण कक्ष पर पुलिस/सुरक्षा गार्ड को नियुक्त की जायें।
- मशीनों के भण्डारण कक्ष (Warehouse) को खोलने/बन्द करने की प्रक्रिया, मशीनों को लाने-ले जाने तक की लॉग बुक संधारित की जायें।

(2) चुनाव में उपयोग में आने वाली ईवीएम का रजिस्टर एवं ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में संधारण:-

आम चुनावों में उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों से संबंधित समस्त सूचना जैसे कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट के यूनीक नम्बर, मॉडल एवं संख्या आदि की जानकारी जो स्थाई स्टॉक पत्रिका में संग्रहित की जाती है उसकी समस्त सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर (esuchi.rajasthan.gov.in) में भी इन्द्राज की जावे।

(3) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking) :-

- F.L.C. का कार्य जिला स्तर पर सम्पन्न करवाया जायें।
- F.L.C. का कार्य ECIL/BEL के इंजिनियरों अथवा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा करवाया जायें।
- F.L.C. की विडियोग्राफी करवाई जायें।
- F.L.C. की प्रक्रिया को देखने के लिए राजनीतिक दलों को सूचित किया जायें।
- F.L.C. के कार्य में लगे अधिकारियों को सेलफोन, कैमरा, स्पाईपेन की अनुमति नहीं दी जायें।
- जिले में उपलब्ध कुल मशीनों (F.L.C. की हुई) की 10% मशीनों पर 25-25 वोट डालकर मॉकपाल कराया जायें।
- ईवीएम मशीन को पिंकपेपर सील से सील किया जायें।

(4) प्रशिक्षण हेतु वोटिंग मशीनों की छंटनी करना :-

- जिला स्तर पर प्रशिक्षण हेतु मतदान केन्द्रों की 5 प्रतिशत मशीन छंटनी कर ली जायें।
- प्रथम प्रशिक्षण का कार्य जिला स्तर पर सम्पादित किया जाये।

(iii) जिला स्तर पर प्रथम प्रशिक्षण उपरांत नगरपालिका स्तर पर दिये जाने वाले द्वितीय प्रशिक्षण के लिये उक्त 5 प्रतिशत मशीनों को नगरपालिकावार आवंटित कर दिया जायें।

(5) नगरपालिका के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन की प्रक्रिया –

नाम निर्देशन की प्रक्रिया नगरपालिका स्तर पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संपन्न कराई जायें।

(6) मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का नगरपालिका वार आवंटन:-

जिला स्तर पर प्रशिक्षण हेतु मशीनों को पृथक किये जाने के उपरान्त शेष मशीनें मतदान के लिये उपयोग में ली जायेगी। इन मशीनों को ई.वी.एम. ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रथम रेण्डमाईजेशन के जरिये नगरपालिकावार आवंटन किया जायें। नगरपालिकावार आवंटित मशीनों को तुरन्त ही जिला स्तर पर एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले स्ट्रॉगरूम में रखने की व्यवस्था की जायें।

(7) मतपत्रों का मुद्रण :-

आयोग के पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नगरपालिका अध्यक्ष/सदस्यों के चुनाव हेतु मतपत्रों के मुद्रण का कार्य निविदा आमंत्रित करते हुए जिला स्तर पर कराया जायें।

(8) मतदान में उपयोग हेतु वार्डवार/मतदान केन्द्रवार आवंटन एवं वोटिंग मशीनों की कमीशनिंग करना :-

- (i) मतदान के उपयोग हेतु नगरपालिकावार आवंटित मशीनों में से ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर से द्वितीय रेण्डमाईजेशन कर मशीनों को वार्डवार/बूथवार आवंटन किया जायें। मशीनों की कमीशनिंग चुनाव के ठीक तीन दिन पूर्व कर लेनी चाहियें।
- (ii) मतदान हेतु मशीनों की तैयारी का कार्य BEL/ECIL के अधिकृत इंजीनियरों अथवा तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा जिला स्तर पर सम्पन्न कराया जायें।
- (iii) बैलेट यूनिट में लगाये जाने वाले मतपत्र के पीछे रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे।
- (iv) एक वार्ड के लिए कमीशनींग की उपरोक्त कार्यवाही करने के पश्चात अन्य वार्डों के लिए मशीनों की तैयारी एक-एक कर वार्ड वार सम्पादित की जायें।
- (v) मतदान मशीनों की तैयारी के समय 5 प्रतिशत मशीनों में प्रत्येक मशीन पर 50 मत देकर दिखावटी मतदान (Mockpoll) किया जायें।
- (vi) बैलेट यूनिट को "Pink Paper Seal" से सील किया जायें।

(9) तैयार शुदा वोटिंग मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षा:-

नगरपालिकावार आवंटित तैयारशुदा (कमीशनिंग की हुई) एवं आरक्षित मशीनों को संबंधित नगरपालिका के रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द कर नगरपालिका स्तर पर एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले स्ट्रॉग रूम में रखने की व्यवस्था की जायें।

(10) आरक्षित मशीनों की तैयारी :-

नगरपालिका स्तर पर आरक्षित मशीन किस वार्ड के किस मतदान केन्द्र पर काम आयेगी, यह किसी को ज्ञात नहीं होता है। अतः नगरपालिका स्तर पर आरक्षित मशीन को जिस वार्ड के जिस मतदान केन्द्र पर आवश्यकता पड़ी है उसके अनुरूप तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तत्समय तैयार करायी जाये।

(11) मतदान दलों को वोटिंग मशीनों का वितरण:-

नगरपालिका स्तर से मतदान दलों को वोटिंग मशीनों का वितरण, परिवहन एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।

(12) मतदान पश्चात वोटिंग मशीन का सग्रहण एवं सुरक्षित अभिरक्षा:-

चूंकि मतगणना नगरपालिका मुख्यालय पर ही होनी है, अतः मतदान के पश्चात वोटिंग मशीन

नगरपालिका मुख्यालय पर ही (मतगणना स्थल पर) संग्रहण कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी।
वोटिंग मशीन के स्ट्रॉग रूम को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबन्द रखा जायेगा।

- (i) स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरे भी स्थापित किये जायेंगे।
- (ii) स्ट्रॉग रूम में अग्नि सुरक्षा के उपाय भी रखे जायेंगे।
- (iii) स्ट्रॉग रूम व मतगणना परिसर में दोहरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी जायेगी।

(13) मतगणना :-

- (i) नगरीय निकाय में वार्डों की संख्या, मतदान केन्द्रों की संख्या, मतगणना में लगने वाले समय एवं मितव्यता को ध्यान में रखते हुए मतगणना के लिये टेबलों की संख्या संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तय की जायें।
- (ii) नगरपालिका स्तर पर मतगणना सम्पादित कर परिणाम घोषित किया जायें। MPSV मॉडल की SDMM एवं MPMV मॉडल की DMM को सील कर दिया जायें। M3A मॉडल की मशीन (CU एवं BU) को सील कर दिया जायें।
- (iii) चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को चुनाव प्रमाण-पत्र जारी करना एवं शपथ नगरपालिका स्तर पर ही दिला दी जायें।
- (iv) समस्त ईवीएम मशीनों को सम्बंधित जिलों के भण्डारण कक्ष (Warehouse) में बिना किसी विलंब के जमा करा दी जाए। जिससे इन मशीनों को पुनः चुनावों में उपयोग लिया जा सके।

(14) वोटिंग मशीनों की सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया :-

- (i) वोटिंग मशीनों की विभिन्न स्तरों पर की गई गतिविधियों यथा वोटिंग मशीनों की तैयारी, वोटिंग मशीनों की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम की सीलिंग, ईवीएम मशीनों का परिवहन, भण्डारण, वितरण, मतगणना, ईवीएम F.L.C., कमीशनिंग, ईवीएम मशीनों के रजिस्टर का संधारण, आदि प्रक्रियाओं में आयोग द्वारा जारी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जावें। साथ ही राजनीतिक दलों को भी समस्त प्रक्रिया में सुचित करना सुनिश्चित करें।
- (ii) वोटिंग मशीनों को निर्धारित स्थानों एवं अलग-अलग स्तर पर सुरक्षित रखने का पूर्ण उत्तर दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है अतः जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।



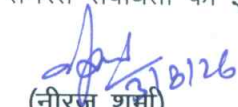
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक :- 04.08.2026

क्रमांक: एफ. 1(4)(1) नपा/रानिआ/2014/5447-50

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी माफत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाने हेतु।



(नीरज शर्मा)
सहायक सचिव